FROM NO-111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी** **मुकाम** **केकड़ी**

**मोहनलाल पुत्र श्रीकिशन जाति कुमावत बनाम घीसालाल पुत्र हजारी कुम्हार निवासी पारा निवासी बनेड़ा निवासी पारा**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रकरण संख्या /21 ( )

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.03.2021 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रश्न पर वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी घीसालाल पुत्र हजारी की मृत्यु दिनांक 23.03.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 घीसालाल जाति कुमावत की मृत्यु होना पाया जाता है अतः वादी का वाद अबैट होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादी के लायक वकील ने अवगत कराया कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी वादी को नहीं थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश करने पर ही वादी को अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः वादी का वाद खारिज नहीं किया जावे अपितु अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान की कायमी की जाकर मुझे संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे अन्यथा वादी का वाद अबेट होने से को न्याय का हनन होगा।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रसतुत दस्तावेजात से पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु 23.03.2011 को हुई है तथा वादी ने वाद पत्र 22.06.2020 को पेश किया है जो प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के 09साल बाद पेश किया। वादी को 09 साल बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 जो उसका पड़ौसी है व रिश्तेदारी मे दामाद होना पाया जाता है। जानकारी नहीं होना सत्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद अबेट किया जाकर खारिज किया जाता है। मिसल नंबर से कम होकर शुमार फैसल हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>केकड़ी | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit

Date: 2021.07.21 14:18:15 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner